राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 28 फरवरी, 1997

क्रमांक 215-ज-2-97/3281.—श्री लखमी दास, पुत्र श्री ढेरुमल निवासी गांव रटोली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 327-ज-1-75/7819, दिनांक 21 मार्च, 1975 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/ दिनांक 26 अगस्त 1993 द्वारा 300 रुपए से बढ़ा कर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मन्जूर की गई थी

2. अब श्री लखमी दास की दिनांक 15 जनवरी, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरुप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपना गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री लखमी दास की विधवा श्रीमती धनवन्ती के नाम रबी, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 13 मार्च, 1997

क्रमांक 268-ज-2-97/3917.—श्री मांगे राम, पुत्र श्री साधु, राम निवासी गांव दुधवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8922-जन-III-66/15723, दिनांक दिनांक 2 जुलाई 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918 दिनांक 26 अगस्त 1993 से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक दर से जागीर मन्जुर की गई थी।

2. अब श्री मांगे राम की दिनांक 12 अप्रैल, 1996 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री मांगे राम की विधवा श्रीमती दाना देवी के नाम खरीफ 1996, से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 20 मार्च, 1997

क्रमांक 444-ज-2-97/4561.—श्री राये सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी गांव सौलधा, तहसील बहादुर गढ़, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1956-र-4-67/2535, दिनांक 27 जुलाई, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक दर से मन्जूर की गई थी।

2. अब श्री राये सिंह की दिनांक 8 अगस्त, 1996 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री राये सिंह की विधवा श्रीमती रिसालो के नाम रबी, 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

(हस्ताक्षर) . . . ,

अवर सचिब, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग